निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
159/2007	04.08.2007	01.04.2015

श्रीमती गुल्लो पुत्री रंगलाल उर्फ रंगा पत्नि रामस्वरूप जाति माली निवासी गंगाजी की कोठी हाल निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 रामस्वरूप पुत्र कल्ला जाति माली निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
1/2 विजयवाई पुत्री रामस्वरूप पत्नि दिनेशचंद, माली, मच्छीपुरा
1/3 प्रेमराज पुत्र रामस्वरूप, माली निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
——वादीगण

बनाम

1. बदरी पुत्र विरद्या, माली निवासी गंगाजी की कोठी तहसील गंगापुर सिटी
2. श्रीमती जगनी पुत्री रंगलाल उर्फ रंगा पत्नि रामहेत जाति माली निवासी गंगाजी की कोठी हाल निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
3. तहसीलदार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी
4. सब रजिस्ट्रार(उप पंजीयन अधिकारी) तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. किशोरी पुत्र सुरज्या, माली निवासी कैमा तहसील नादौती
6. अनिल कुमार उम्र 7 वर्ष नाबालिग पुत्रगण किशोरी जरिए संरक्षक पिता
7. विष्णु उम्र 5 वर्ष किशोरी, माली निवासी कैमा तहसील नादौती

——प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणां, तकासमा और स्थाई व्यादेश

उपस्थितः— श्री गिर्राज प्रसाद सोनी, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारान के पूर्वज स्व0 बंशी माली रहे हैं जिनका निधन काफी समय पूर्व हो गया है। बंशी के तीन पुत्र विरद्या, रंगलाल उर्फ रंगा और कन्हैया हुए । विरद्या, रंगलाल उर्फ रंगा का निधन हो चुका है एवं कन्हैया अभी जीवित है। रंगलाल उर्फ रंगा के कोई पुत्र नहीं हुआ केवल दो पुत्रियां वादिया गुल्लो और प्रतिवादी जगनी पैदा हुई । स्व0 बंशी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 488 रकबा 2 विस्वा, ख0नं0 489/1 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, ख0नं0 459/2 रकबा 7 विस्वा, ख0नं0 460/2 रकबा 2 विस्वा ग्राम खानपुर बडौदा में रही है। इाके अलावा ख0नं0 14 रकबा 6 बीघा ग्राम बाढ छावा नं0 2 में रही है। स्व0 बंशी के निधन के बाद भूमि की खातेदारी का नामान्तरकरण विरद्या, रंगा उर्फ रंगलाल, व कन्हैया तीनों पुत्रों के नाम दर्ज हुआ। ग्राम खानपुरबडौदा स्थित साबिक ख0नं0 488, 489/1 व 460/2 के नये नम्बर 1029 रकबा 31 एयर, 1030 रकबा 1 एयर, 1031 रकबा 1 एयर, 1017/1168 रकबा 4 एयर बनाए गए। इसी प्रकार ग्राम बाढछावा स्थित

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

साबिक ख0नं0 14 के नये नये नम्बर 23 रकबा 65 एयर व 24 रकबा 90 एयर बनाए गए। स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल के निधन के बाद उनकी वैधानिक वारिस केवल दोनों पुत्रियां वादिया व प्रतिवादी सं0 2 ही थी इसलिए वैधानिक रूप से स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण वादिया गुल्लो एवं प्रतिवादिया नं0 2 श्रीमती जगनी के हक में खुलना चाहिए था किन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने साज करके वादिया को धोखे में रखकर रंगा उर्फ रंगलाल की भूमि अपने आपको स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल का पुत्र बताकर अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि वह हमेशा यही कहता रहा कि जमीन तुम्हारे नाम चढ गई है और वादिया व प्रतिवादी सं0 2 जमीन से लाभ लेती रही हैं। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपने पक्ष में कराई गई इस खातेदारी की कार्यवाही को वादिया को जानकारी नहीं हुई एवं वादिया ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की। प्रतिवादी संख्या 1 बदरी वादिया के ताऊजी का लडका है इसलिए वादिया को किसी प्रकार की कोई शंका भी नहीं हुई । इस वर्ष फसल खरीफ में वादिया अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि में काश्त करने के लिए बदरी के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को हाली रखकर काश्त कराने के लिए दिनांक 5.7.2007 को अपनी आराजी पर गई तो प्रतिवादी बदरी नाराज हो गया और कहने लगा कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को काश्त नहीं करने देगा एवं वादिया को यह भी कहा कि यदि वादिया ने जिद की तो उसका परिणाम वादिया को भुगतना होगा। उसने यह भी बताया कि उसने रंगा उर्फ रंगलाल की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली है इस पर वादिया को बडा आश्चर्य हुआ। वादिया ने नकल लेने का प्रयास किया तो प्रतिवादी बदरी ने उसमें भी रोडे अटकाए एवं बडी मुश्किल से वादिया को नकलें प्राप्त हुई तब वादिया को पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ने साज करके पोशीदा तरीके से स्वयं को स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल का पुत्र होना बताकर अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा कर उपरोक्त आराजी में खातेदारी बतौर हिस्सा 1/3 अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल की भूमि से कोई वास्ता ही नहीं है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती जगनी से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि बदरी ने उसे उसके हिस्से की जमीन के पैसे दे दिए हैं इसलिए अब वह कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। इस प्रकार उसने प्रतिवादी बदरी से मिलीभगत कर ली है। वादग्रस्त आराजी स्व0 बंशी के कब्जे काश्त की व स्वामित्व की भूमि रही है ऐसी स्थिति में वादिया का उपरोक्त आराजी में जन्म से ही वैधानिक अधिकार है जिसको किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। दिनांक 3.8.2007 को वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि उसने इस प्रकार से स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल का पुत्र बनकर अपने नाम खातेदारी क्यों खुलवा ली इसे सही कराओ तो वह आग बबूला हो गया और उसने व उसके पुत्रो ने जान से मारने की धमकी दी। प्रतिवादी ने कहा कि जमीन की खातेदारी उसके नाम है इसलिए इस जमीन को किसी भी व्यक्ति को बेच देगा जबकि प्रतिवादी को इस जमीन को बेचने का अधिकार ही नहीं है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया

जिला कलेक्टर
जोधपुर सिटी

एयर 1017/1168 रकबा 4 एयर ग्राम खानपुरबडौदा एवं ख0नं0 23 रकबा 65 एयर 24 रकबा 90 एयर ग्राम चक छावा नं0 2 में स्व0 रंगलाल उर्फ रंगा के पुत्र की हैसियत से दर्ज प्रतिवादी बदरी के नाम को अवैधानिक, नियम विरूद्ध व साजिशी, कूटरचित घोषित किया जाकर समस्त सरकारी रिकार्ड में से बतौर खातेदार हिस्सा 1/3 उसका नाम हजफ फरमाया जावे तथा प्रतिवादी बदरी के पक्ष में खुले नामान्तरकरण की कार्यवाही को साजिशी, अप्रभावी घोषित किया जावे। स्व0 रंगलाल उर्फ रंगा की पुत्री होने के नाम वादिया को स्व0 रंगलाल उर्फ रंगा की हिस्से की उपरोक्त आराजियात के 1/2 हिस्से की यानि कुल आराजियात का 1/6 हिस्से की खातेदार घोषित की जाकर जमाबंदी आदि समस्त सरकारी रिकार्ड में बतौर खातेदार 1/6 हिस्सा दर्ज फरमाए जाने के आदेश प्रदान करें व तदनुसार रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उपरोक्त भूमि में वादिया के हिस्से 1/6 के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करें और न ही किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त आराजी को किसी भी दीगर व्यक्ति को वय न करें और न किसी प्रकार हस्तांतरित करें तथा वादिया के हिस्से का मीट्स एण्ड बाण्उड्स में विभाजन कराया जाकर वादिया को उसके हिस्से की आराजियात का तन्हा खातेदार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 3, 4 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1, 2 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादिया ने रंगलाल की दो पुत्रियां होना बताया है जो गलत है, रंगलाल के तीन पुत्रियां गुल्लो, जगनी तथा बत्तो थी । गुल्लो, जगनी तथा बत्तो एवं रंगलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने भाई के लडके बदरी को गोद ले लिया तथा रंगलाल के मरने के बाद बत्तो का भी इंतकाल हो गया है। बत्तो के दो पुत्र अनिल व विष्णु नाबालिग हैं तथा बत्तो का पति किशोरी जीवित है। वादिया ने इनको अपने दावे में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए यह दावा खारिज होने योग्य है। वादिया का विवादित भूमि से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। वादिया अपने हिस्से को काफी सालों पहले ही प्रतिवादी सं0 1 के हक में छोड चुकी है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

जबाब दावा प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा वादपत्र में बनाए गए प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी सं0 2032 से 2035 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2032 से 2035 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2062 से 2065 प्रदर्श–6, नकल नामान्तरकरण सं0

बहस के दौरान वकील प्रतिवादीगण भी उपस्थित हो गए । अतः प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई।

वादिया के विद्वान वकील ने अपनी बहस के दौरान कहा कि प्रतिवादी बदरी को वादिया के पिता स्व0 रंगलाल उर्फ रंगा का पुत्र नही है बल्कि वादिया के ताऊजी का लडका है। इसे वादिया के पिता ने कभी गोद भी नहीं लिया एवं इसने फर्जी तरीके से रंगलाल उर्फ रंगा का पुत्र बनकर उसकी खातेदारी की 1/3 हिस्से की जमीन को अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया है। इसलिए इसके नाम से यह भी हटाई जावे।

वकील प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रतिवादी नं0 1 को वादिया, प्रतिवादी नं0 2 व स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल की तीसरी पुत्री बत्तो के समक्ष स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल ने अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था परन्तु रिकार्ड में गलती से उसे रंगा उर्फ रंगलाल का पुत्र दर्ज कर दिया गया है जबकि वह दत्तक पुत्र है। वादिया का स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल की भूमि में 1/2 हिस्सा नहीं है बल्कि वादिया का 1/4, प्रतिवादिया नं0 2 का 1/4, प्रतिवादी नं0 5,6,7 का 1/4 एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा बनता है एवं इस प्रकार यदि पक्षकारों का हिस्सा रेकार्ड में दर्ज कर दिया जाता है तो इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ती नहीं है।

रिबटल में वादिया के वकील ने भी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 5,6,7 का 1/4 हिस्सा तथा वादिया का 1/4 हिस्सा दर्ज करने पर अपनी सहमति प्रकट की तथा इसी अनुसार वादिया का वाद निर्णित करने का भी निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त भूमि स्व0 बंशी माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जो नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 व प्रदर्श–3 से स्पष्ट है। बंशी की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 10.9.93 से भूमि विरदा, कन्हैया पि0 बंशी माली हि0 2/3, बदरी पुत्र रंगलाल हि0 1/3 माली सा0 खानपुरबडौदा के नाम दर्ज हुई है। पक्षकार वादग्रस्त भूमि स्व0 बंशी की होने, स्व0 बंशी के तीन पुत्र विरदा, कन्हैया व स्व0 रंगा उर्फ रंगलाल होने की बात पर सहमत हैं। वादग्रस्त भूमि स्व0 बंशी की खातेदारी की होने के नाम वादिया का वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादिया नं0 2, एवं वादिया की बहन स्व0 बत्तो के साथ जन्म से ही हिस्सा बनता है। बदरी ने चूंकि अपने आपको गोदपुत्र होने का कोई लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया है परन्तु बहस के दौरान वादिया के वकील एवं प्रतिवादीगण के वकील इस बात पर सहमत हुए हैं कि वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 5, 6, 7 का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जावे इस स्थिति में यह स्पष्ट हो

सहायक कलेक्टर
जोधपुर सिटी

जाता है कि इन सभी का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा व हक इसी अनुसार बनता है तथा ये इसी अनुसार अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1029 रकबा 31 एयर, ख0नं0 1030 रकबा 1 एयर, ख0नं0 1031 रकबा 1 एयर, ख0नं0 1017/1168 रकबा 4 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में दर्ज बदरी पुत्र रंगा हिस्सा 1/3 एवं भूमि ख0नं0 23 रकबा 65 एयर एवं ख0नं0 24 रकबा 90 एयर ग्राम बाढ छावा नं0 2 में दर्ज बदरी पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादीगण रामस्वरूप, विजयवाई, प्रेमराज को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी बदरी को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादिया जगनी को 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण किशोरी, अनिल कुमार, विष्णु को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन नम्बरो में दर्ज अन्य खातेदारों के हिस्से यथावत दर्ज रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अदालत: उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास: मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

श्रीमती गुल्लो पुत्री रंगलाल उर्फ रंगा पत्नि रामस्वरूप जाति माली निवासी गंगाजी की कोठी हाल निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1 रामस्वरूप पुत्र कल्ला जाति माली निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

1/2 विजयवाई पुत्री रामस्वरूप पत्नि दिनेशचंद, माली, मच्छीपुरा

1/3 प्रेमराज पुत्र रामस्वरूप, माली निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुरसिटी ——वादीगण

बनाम

1. बदरी पुत्र बिरदया, माली निवासी गंगाजी की कोठी तहसील गंगापुर सिटी
2. श्रीमती जगनी पुत्री रंगलाल उर्फ रंगा पत्नि रामहेत जाति माली निवासी गंगाजी की कोठी हाल निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
3. तहसीलदार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी
4. सब रजिस्ट्रार(उप पंजीयन अधिकारी) तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. किशोरी पुत्र सुरज्या, माली निवासी कैमा तहसील नादौती
6. अनिल कुमार उम्र 7 वर्ष नाबालिग पुत्रगण किशोरी जरिए संरक्षक पिता
7. विष्णु उम्र 5 वर्ष किशोरी, माली निवासी कैमा तहसील नादौती ——प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणां, तकासमा और स्थाई व्यादेश

मुकदमा नं. – 159/2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गिर्राज प्रसाद सोनी, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** वादिया का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1029 रकबा 31 एयर, ख0नं0 1030 रकबा 1 एयर, ख0नं0 1031 रकबा 1 एयर, ख0नं0 1017/1168 रकबा 4 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में दर्ज बदरी पुत्र रंगा हिस्सा 1/3 एवं भूमि ख0नं0 23 रकबा 65 एयर एवं ख0नं0 24 रकबा 90 एयर ग्राम बाढ छावा नं0 2 में दर्ज बदरी पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादीगण रामस्वरूप, विजयवाई, प्रेमराज को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी बदरी को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादिया जगनी को 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण किशोरी, अनिल कुमार, विष्णु को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन नम्बरो में दर्ज अन्य खातेदारों के हिस्से यथावत दर्ज रहेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.04.2015 को जारी किया गया ।

उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		